इस्लाम की कुछ खूबियां

विशुद्ध एकेश्वरवाद
इंसानों की पैदाइश
नारी का हक़
चार शादी
सब से बड़ा पाप शिर्क
स्त्रियों का पर्दा
तलाक़ पति से छुटकारा

लेखक
एम0 एस0 बहराइची

मुस्लिम सियासी बेदारी फोरम
मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ
मो0 : 9918133465, 8090974027

सहयोग राशि 20/-

इस्लाम

की कुछ

खूबियां

लेखक

एम0 एस0 बहराइची

मुस्लिम सियासी बेदारी फोरम

मदेहगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ

मो0 : 9918133465, 8090974027

सहयोग राशि 20/-

दो शब्द

इस्लाम के सम्बन्ध में अज्ञानता वश यदि हमारे गैर मुस्लिम भाई ग़लतफहमी का शिकार हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन मुसलमान इस्लाम से अनभिज्ञ रहकर शिर्क व दूसरी बुराईयों में मुब्तिला हों, ये चिन्ता का विषय है। बहुसंख्यक गैर मुस्लिम समाज मुसलमानों को जो करते देखता है उसी को वह इस्लाम समझता है। यह ग़लतफहमी आम तौर पर गैर मुस्लिमों में पाई जाती है।

समाज में ऐसे बहुत से जाहिल कूप मंडूक मुसलमान हैं जो रीति रिवाज, त्योहार, उर्स, मेले ठेले, मुहर्रम, शबे–बरात आदि को ही अज्ञानता वश इस्लाम समझते हैं, और कुछ का इस्लाम सिर्फ नमाज़, रोज़े तक सीमित है। और कुछ तो नमाज़ भी नहीं पढ़ते और बड़ी ढिटाई से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। इन मुसलमानों की बड़ी तादाद इस्लाम की आधार शिला तौहीद से भी ना–वाकिफ है। यही शिर्क व तौहीद से ना–वाकिफ जाहिल मुसलमान विश्वकर्मा पूजा व अन्य देवी देवताओं आदि की पूजा अर्चना में ये कहकर शरीक होते हैं कि इसमें बुराई क्या है?

इन ही मुसलमानों के क्रियाकलापों को देखकर गैर मुस्लिम गलत फहमी का शिकार हैं। ये छोटी सी पुस्तक इन्हीं भ्रान्तियों के दूर करने का एक प्रयास है। ताकि लोग इस्लाम की बुनियादी बातों से अवगत हों। और गुमराह व सही मुसलमानों में अन्तर कर सकें ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इस कोशिश को कबूल करे।

15/03/2017

एम0 एस0 बहराइची
536/334 मदेह गंज खदरा
सीतापुर रोड– लखनऊ

(शुरू करता हूं प्रभु के नाम से जो बड़ा कृपाशील और मेहरबान है।)

समस्त संसार का प्रभु (पालनहार) एक है। इस्लाम उसी का भेजा दीन है। प्रभु ने अन्तिम ग्रंथ कुरआन को अपने अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्ल0 पर सारे जगत के इंसानों की रहनुमाई के लिए उस समय नाज़िल किया जब संसार में एक भी मुस्लिम नहीं था। लोगों के ज्ञानार्थ हेतु हम दीन इस्लाम की कुछ मुख्य बुनियादी बातों पर चर्चा कर रहे हैं।

(1) इस्लाम में एकेश्वरवादः

इस्लाम में एकेश्वरवाद की बुनियाद इतनी मज़बूत है कि इसमें मिलावट असम्भव है। इसका कारण इस्लाम का वह (मूलमंत्र) कलिमा है जिसका अर्थ है– ''मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के अलावा कोई उपास्य नहीं, मुहम्मद सल्ल0 ईश्वर के बन्दे, अन्तिम ईशदूत, रसूल, पैगम्बर हैं जो समस्त मानव जाति के लिए भेजे गये।

यही कारण है कि यहाँ एक प्रभु (अल्लाह) की भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं। यहाँ न नेकी का खुदा है न बदी का। न यहाँ ब्रहमा, विष्णु और महेश की कोई कल्पना है। न यहाँ कण–कण में भगवान विराजमान हैं कि हर चीज़ पूजी जा रही हो। यहाँ विद्या की देवी सरस्वती नहीं। न धन की देवी लक्ष्मी है। न देवी शक्ति दुर्गा। न यहाँ शंकर, इन्द्र व गणेश आदि देवता हैं कि उनकी वन्दना व पूजा की जाये। सूर्य व चन्द्र देवता की यहाँ कोई कल्पना नहीं कि उसे नमस्कार किया जाये। न यहाँ धरती माता के लिए वन्दे मातरम गाने की गुंजाइश है। न यहाँ कल कारखाने के देवता विश्वकर्मा हैं। यहाँ सिर्फ एक निराकार प्रभु है जो सर्वशक्तिमान है। आप उसे अल्लाह कहें या गाड, ईश्वर कहें या भगवान। सिर्फ वही एक उपास्य है। उसी की महिमा, वन्दना, भक्ति, उपासना की जाती है।

इस्लाम के निकट एक प्रभु के अलावा यदि किसी की कहीं भी श्रद्धा है तो वह भटका हुआ है। सूरज, चाँद, मूर्ति, पत्थर, पहाड़, समुद्र, वृक्ष, समाधि, देवी–देवता, पीर–फकीर आदि से आशा बाँधने वाले, मन्नत मनने वाले कि वे काम बना देंगे, इस्लाम के निकट भटके हुए लोग हैं। इस्लाम में एक ईश्वर में श्रद्धा ही असल ईमान है। इस श्रद्धा के स्थिर हुए बगैर यहाँ कर्म ही आरम्भ नहीं होता।

आप कितने अच्छे कर्म करें परन्तु आपकी श्रद्धा एक ईश्वर में नहीं तो सब कर्म आपके व्यर्थ हैं। विचार कीजिए आप अच्छें कर्म किस लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अच्छे कर्म करने का आपका तात्पर्य क्या है? सोचिए, विचारिए, चिन्तन कीजिए।

प्रभु ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। उसे ये पसन्द नहीं कि उसके बन्दे उसकी बन्दगी करने के बजाए उसकी बनाई व पैदा की हुई चीज़ों को पूजें, और उनसे आशा व उम्मीद बाँधें। इसी बात को समझाने, बताने के लिए ईश्वर ने हर कौम और क्षेत्र में अपने सन्देष्टा भेजे। अन्त में ईश्वर ने समस्त मानव जाति के मार्ग दर्शन के लिए अन्तिम सन्देष्टा (कल्कि, नराशंस) पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 को भेजा। आपने अरब की पवित्र व पावन धरती के सफा नामक पहाड़ से मूर्ति पूजक अरब जाति से फर्माया–

"ऐ कौम के लोगो! ये बुत और मूर्तियाँ जिन्हें तुम अपने हाथों बनाते और पूजते हो किसी काम के नहीं हैं। इन्हें छोड़ दो। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और ये सारी सृष्टि सब अल्लाह ने पैदा की है। वही हमारा सबका स्वामी पैदा करने वाला है। ज़िन्दगी व मौत का वही मालिक है। रोज़ी देने वाला वही है। सबको छोड़कर उसी की इबादत और भक्ति करो। जो कुछ माँगना है उसी से माँगो। ये चोरी, ये लूटमार, ये शराब, ये जूआ, ये व्यभिचार जो तुम करते हो सब पाप है। अल्लाह इन बातों को पसन्द नहीं करता। सच बोलो, न्याय करो, जो कुछ लो हक के साथ लो, जो कुछ दो हक के साथ दो। तुम सब इंसान हो और सब इंसान बराबर हैं। बड़ाई और शराफत इंसान की नस्ल, खानदान, रंग, रूप, धन, दौलत में नहीं है, बल्कि ईश्वर भक्ति, नेकी और पवित्रता में है। जो ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। मरने के बाद तुम सबको अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। उसके यहाँ न किसी की सिफारिश काम देगी, न कोई रिशवत चलेगी और न किसी का गौत्र पूछा जायेगा। वहाँ केवल ईमान और नेक आमाल (सुकर्म) की पूछ होगी। जिसके पास ये सामान होगा वह (शाश्वत जीवन) के साथ सदा के लिए स्वर्ग में जायेगा और जिसके पास इनमें से कुछ न होगा वह अभागा, बदनसीब हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जायेगा।,,

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 का ये मुख्य सन्देश समस्त मानव जाति के लिए था। जिसे सच्चे भक्त दुनिया के इंसानों तक पहुँचाते रहे और आज भी पहुँचा रहे हैं। प्रभु के इसी सन्देश के मानने में समस्त मानव जाति की मुक्ति व नजात है। ये बात मृत्यु से पहले प्रत्येक इंसान को समझनी है। जिसने इस विषय में सोचना, समझना गवारा न किया। वह सदा नरक भोगेगा।

(2) इंसानों की पैदाइश

इस्लाम की दूसरी खूबी ये है कि वह कहता है कि "सारे इंसानों की पैदाइश एक जोड़े हज़रत आदम व हव्वा से हुई,,। इसलिए सब इंसान बराबर हैं। यहाँ ब्राहमा के मुख, बाँह, पेट और पैर से पैदा होने जैसी कोई कहानी नहीं है। न यहाँ गैर बराबरी (वर्ण व्यवस्था) को कोई मान्यता है। इस्लाम के निकट समस्त मानव जाति ईश्वर का कुंबा है।

यहाँ राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, भंगी हो या चमार, सैयद हो या पठान, करैशी हो या हाशमी सब बराबर है। किसी को किसी पर कोई बड़ाई नहीं। यही कारण है कि मस्जिदों में सब एक साथ खड़े होते हैं और सब साथ एक आसन पर बैठते हैं। दावतों में सब साथ बैठ कर खाते और एक दूसरे के शादी विवाह के प्रोग्रामों में शरीक होकर सहयोग करते हैं। यहाँ धर्म की कुंजी किसी विशेष जाति के हाथ में नहीं है। धर्म ग्रंथ छूने, पढ़ने, सीखने, सिखाने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। वह चाहे कहीं और किसी भी जाति का हो। कोई भी भाषा बोलता हो। यहाँ एक मोची भी यदि विद्वान, धर्म ज्ञाता और सदाचारी है तो वह तमाम मुसलमानों का इमाम (धर्म गुरू) बन सकता है।

सब इंसान बराबर हैं। इसी दर्शन के तहत इस्लाम किसी इंसान के नाहक कत्ल को चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी मज़हब, जाति, परिवार, कबीले से हो, कोई भी ज़बान बोलता हो और दुनिया के किसी भी क्षेत्र व मुल्क का रहने वाला हो, काला हो या गोरा, कतई हराम है। उसके निकट इस नाहक कत्ल का गुनाह उतना ही है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल करने का। इसलिए सारे इंसानों से प्रेम, उनका एहतराम मुसलमानों पर वाजिब है। सच्चे मुसलमान इसी

भावना के तहत स्वयं नरक से बचने और सारे इंसानों को नरक से बचाने के लिए ईश्वर का पैगाम पहुँचाने का कार्य करते हैं।

प्रश्न उठता है कि इस्लाम की इतनी प्रभाव पूर्ण शिक्षा के बावजूद आम मुसलमानों का हाल इसके विपरीत क्यों है? इसका जवाब जिहालत (इस्लाम से अनभिज्ञता) और गुमराही के सिवा कुछ नहीं। तथा कथित मुसलमान इस्लाम पर कलंक हैं। ये मुसलमान हैं भी या नहीं इसका निर्णय मरने के बाद खुदा के ज़िम्मे है। मुसलमान के घर पैदा हो जाने से या मुसलमान नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान बनने के लिए सच्चे दिल से इस्लाम के उसूलों को मानना और उस पर चलना होता है। यदि ये नहीं है तो खुदा के नज़दीक वह मुसलमान नहीं है। चाहे उसका नाम अब्दुल रहमान, मुहम्मद शमीम, अहमद हसन ही क्यों न हो।

इस्लाम में श्रेष्ठ, बुजुर्ग, बड़ा वही है जो ईश भय रखकर सदाचारी जीवन व्यतीत करता हो। बड़ाई, बुजुर्गी और शराफत का जाति वंश से कोई सम्बन्ध नहीं। यदि कोई मुसलमान इस्लाम में जातिवाद, ऊँच–नीच की बात को सही ठहराने की कोशिश करता है तो वह पक्का जाहिल और नीच खसलत का मुसलमान है। आप सल्ल0 ने फर्माया– वह हम में से नहीं जो वंश और कुटुम्ब की विशेषता पर बल दे और इस बुनियाद पर पक्षपात कर के झगड़ा करे। आपने ये भी फर्माया कि जिसको कर्म ने पीछे डाल दिया उसका वर्ण उसे आगे नहीं बढ़ा सकता।

(3) सन्देष्टाओं का आगमन

इस्लाम की तीसरी खूबी ये है कि वह कहता है, प्रभु ने इंसानों की (हिदायत) मार्ग दर्शन के लिए लगभग एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर दुनिया में भेजे। ये पैगम्बर विभिन्न समय कालों और विभिन्न कौमों व क्षेत्रों में साहस्रों वर्षो तक आते रहे और दुनिया के इंसानों को एक ईश्वर की ओर बुलाते रहे। उन पर जो सहीफे और किताबें उतारी गयीं। उसे उनके बाद उनके श्रद्धालुओं ने या तो अपनी भूल, गलतियों एवं असावधानी से गुम कर दिया या दुष्टता व शरारत में अपने विचारों का मिश्रण करके उसे परिवर्तित एवं विकृत कर डाला। जितना समय बीतता गया ग्रंथों में इच्छा अनुसार मिश्रण एवं

परिवर्तन होता गया। पूजा और इबादत के नये नये तरीके अपना लिए। इस तरह वास्तविकता पर अंधविश्वास छाता चला गया। धीरे–धीरे सम्पूर्ण वास्तविकता लुप्त होती गई तो ईश्वर ने सुधार हेतु सन्देष्टा भेजे। सन्देष्टाओं की बात कुछ लोगों ने मानी और असल ईश्वरीय मार्ग पर वापस आ गये। अधिकाँश ने नहीं मानी हठधर्मी पर डटे रहे। इस तरह न मानने वाले अलग–अलग धर्मो व पंथों में बंटते गये। एक पुस्तक के बजाये अनेक धर्म पुस्तकें वजूद में आती गयीं। मानने वालों का गिरोह सदैव शुरू से एक रहा।

अलग–अलग धर्म व पंथ बनने और अनेक धर्म पुस्तकों के वजूद में आने पर आप स्वयं गम्भीरता से सोचिए–विचार कीजिए कि जिस ईश्वर ने दुनिया के सारे इंसानों के लिए चाहे वे निर्धन हों या धनवान, ज्ञानी हों या अज्ञानी, देहाती हों या शहरी, देशी हों या विदेशी, काले हों या गोरे, शिक्षित हो या अशिक्षित सबके लिए सूरज एक, चाँद एक, फल, फूल, हवा, पानी, जीवन मृत्यु आदि सबके लिए सृष्टि का नियम एक बनाया तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? और न किसी प्रकार ये बात बुद्धि में आ सकती है कि ईश्वर ने मानव जाति के मार्ग दर्शन के लिए बहुत से ऐसे धर्म और ग्रंथ भेजे हों जो परस्पर भिन्न और एक दूसरे के विपरीत हों। ये बात ईश्वर की तत्वदर्शिता, उसके न्याय और उसकी दयालुता सबके विरूद्ध है। इसलिए ये कहना किसी तरह उचित नहीं है कि सारे धर्म ईश्वर की ओर से हैं। सिर्फ रास्ते अलग–अलग हैं मंज़िल एक है।

सन्देष्टा भेजने के इसी क्रम में ईश्वर ने अपने अन्तिम सन्देष्टा नराशंस, कल्कि अवतार पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 को भेजा। जिनके आने का उल्लेख वेद, पुराण, बाइबिल आदि ग्रंथों में परिवर्तन और मिश्रण किये जाने के बावजूद आज भी मौजूद है। ईश्वर ने उन पर एक मात्र अन्तिम ग्रंथ कुरआन उतारा। उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध ईश्वर ने अपने ज़िम्मे लिया। यही कारण है कि 1450 वर्ष बीत जाने के बाद कुरआन के एक अक्षर में कोई तबदीली न हो सकी। आज कुरआन के करोड़ों हाफिज़ दुनिया में मौजूद हैं। ये ईश्वर की मेहरबानी नहीं तो और क्या है? प्रत्येक इंसान की मुक्ति, नजात व मोक्ष का एक मात्र साधन सिर्फ इस्लाम है जिसका मुख्य स्रोत

कुरआन व हदीस है। इसके अलावा जहाँ जो कुछ है वह कपोल कल्पित कहानी और धर्म का विकृत रूप है।

प्रभु ने अपने इस अन्तिम ग्रंथ कुरआन में केवल 25 सन्देष्टाओं (पैगम्बरों, अवतारों) का जिक्र किया है। इन 25 पैगम्बरो पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए अत्यन्त ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जिनके नाम का जिक्र कुरआन ने नहीं किया है और वे महापुरूष अपनी कौमों में पूजे जा रहे हैं। ऐसे महा पुरूषों के बारे में (वे चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र में हों) मुसलमान न तो ये कह सकते हैं कि ये पैगम्बर थे और न ही ये कह सकते हैं कि पैगम्बर नहीं थे। क्योकि कोई मुसलमान किसी पैगम्बर का इनकार, तिरस्कार व अनादर करके मुसलमान नहीं रह सकता। अनभिज्ञता लाइल्मी के कारण भी यदि अनादर करेगा तो उसका ईमान खतरे में पड़ जायेगा। इस्लाम की यही वह मूल शिक्षा है जिसके कारण कोई मुसलमान किसी महापुरूष का अनादर नहीं करता और कुरआन खुद कहता है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो।

ध्यान रहे यदि कोई मुसलमान पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर तो ईमान लाता है, लेकिन उन्हें अन्तिम पैगम्बर नहीं मानता तो वह मुसलमान नहीं है। (जैसे कादियानी) यदि कोई मुसलमान मुहम्मद सल्ल० को अन्तिम पैगम्बर भी मानता है लेकिन पिछले भेजे गये पैगम्बरों में से किसी एक पैगम्बर का इनकारी है तो वह भी मुसलमान नहीं है। क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजे गये समस्त पैगम्बरों पर ईमान रखना मुसलमान होने के लिए शर्त है।

(4) सभी सन्देष्टा एक ही पैगाम लाये

ईश्वरीय ग्रंथ कुरआन के अनुसार जितने भी सन्देष्टा दुनिया में आये सब दीन इस्लाम का ही पैगाम लेकर आये थे। ये धारणा आम तौर पर गलतफहमी पर आधारित है कि इस्लाम का आरम्भ हज़रत मुहम्मद सल्ल० से हुआ। यहाँ तक कि आपको इस्लाम का संस्थापक भी कह दिया जाता है। ये बात पूर्णतयः अज्ञानता पर आधारित है।

प्रथम मानव आदम अलै० भी इस्लाम का ही सन्देश लाये थे। प्रारम्भिक वैदिक आर्यो का दीन भी इस्लाम ही था। यहूदी भी प्रारम्भ में इस्लाम पर थे, और हज़रत ईसा अलै० भी इस्लाम का ही सन्देश

लाये थे। जितने भी सन्देष्टा आये सभी ने इंसानों को सृष्टि, जीवन–मृत्यु, स्वर्ग–नर्क, परलोक–प्रलय की हकीकत बताई। पाप–पुण्य का भेद समझाया, और कहा कि प्रभु ने इंसान को एक शाश्वत रचना के रूप में पैदा किया है। मनुष्य के जीवन का एक संक्षिप्त भाग मौजूदा दुनिया में रखा गया है। और उसकी आयु के अनन्त भाग को मृत्यु के बाद के जीवन काल में रखा गया है।

मृत्यु से पहले का जीवन अमल के लिए है। मृत्यु के बाद का जीवन परिणाम पाने का है। ध्यान रहे प्रभु ने ये सृष्टि भौतिक नियमों पर बनाई है। प्रभु इसे प्रलय के दिन तोड़–फोड़ कर खत्म कर देगा। उसके बाद नये सिरे से सृष्टि का निर्माण करेगा। जिसमें ज़मीन, आसमान और सारी चीज़ें एक दूसरे ढंग पर होंगी। फिर प्रभु तमाम इंसानों को जो प्रलय तक जन्मे होंगे दोबारा ज़िन्दा करके उन्हें उनके कर्म के अनुसार पुरूस्कृत व दण्डित करेगा। पुरूस्कार पाने वालों को शाश्वत स्वर्ग और दण्डित लोगों को अनन्त काल के लिए नर्क में डाल दिया जायेगा।

यह अकीदा अधिकतर संसार की समस्त कौमों में प्रचलित था। समय बीतने के बाद मुश्रिकों (बहुदेव वादियों) ने खींच तान कर आवागमन की धारणा गढ़ ली, जो न तर्क संगत है, न बुद्धि संगत, न न्याय संगत। इस्लाम इस धारणा को पूर्ण तौर पर नकारता है।

(5) सबसे बड़ा पाप शिर्क

एक ईश्वर को छोड़ किसी और के आगे सिर झुकाना, उसकी खुदाई में किसी को साझीदार व शरीक ठहराना, किसी को ईश्वर के समक्ष सिफारिश करने वाला समझना। इस अकीदे के लोग मुश्रिकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। कब्रों व समाधियों पर सजदा करने वाले, हार फूल माला चढ़ाकर उनसे मन्नतें व मुरादें मांगने वाले शिर्क में मुब्तिला तथाकथित मुसलमान भी इस्लाम के अनुसार मुश्रिक हैं। यही नहीं यदि कोई मुसलमान पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल० को ईश्वर के समकक्ष समझे या उनकी बन्दगी व पूजा करने लगे तो वह भी मुश्रिक ही कहा जायेगा, और कोई मुश्रिक सच्चे अर्थों में मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जिसे ईश्वर किसी भी दशा में माफ नहीं करेगा।

शिर्क पर आधारित समाज विवेक, बुद्धि को काम में लाने के बजाए तौहम परस्ती (अंधविश्वास) में पूर्ण तौर पर गिरफ्तार रहता है। इस्लाम से अनभिज्ञ जाहिल मुसलमानों की एक बड़ी संख्या शिर्क व तौहम परस्ती के मर्ज़ में बुरी तरह गिरफ्तार है। यही शिर्क में मुब्तिला मुसलमान (मर्द व औरतें) कब्रों, मज़ारों पर अगर बत्ती, हार–फूल चढ़ाते, मन्नतें मांगते और कुछ सिजदा करते देखे जाते हैं। इस्लाम जिस तरह बुत परस्ती का विरोधी है उसी तरह कब्र परस्ती और तौहम परस्ती का भी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने तौहम परस्ती, बदशगूनी, से मना किया है। मुसलमानों के इस बिगड़े अकीदे और अमल के कारण गैर मुस्लिम इस्लाम के प्रति भ्रमित हैं। मुसलमान जो करते हैं वही हिन्दू भी यदि करते हैं तो दोनों में अन्तर क्या है?

हिन्दू भी मज़ारों, देवी, देवताओं, बुतों व अन्य स्थानों की मनौती करते फिरते हैं। तौहम परस्ती में गिरफतार समाज के ये वर्ग हर क्षण शुभ–अशुभ, शगुन–अपशगुन, भूत–प्रेत, टोने–टुटके के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनके नज़दीक यदि प्रातः एक आँख वाला दिख जाय तो काम खराब। घर निकलते छींक आ जाये, बिल्ली रास्ता काट दे, काँच की कोई वस्तु टूट जाय, दूध उबल कर गिर जाये। ऐसी अनेक घटनायें अशुभ समझी जाती हैं। हिन्दू समाज के बहुत से लोग इसी शुभ–अशुभ के चक्कर में अपनी विधवा माता पर जुल्म करते हैं। वे उन्हें किसी शुभ काम में आगे नहीं आने देते। इस तरह के लोग किसी विशेष दिन को अपने लिए बुरा समझते हैं तो किसी दिन को अच्छा। यदि दुकानदार हैं तो पहले आने वाले ग्राहक की बिक्री पर प्रभु का शुकर अदा करने के बजाये धन को सलाम करते हैं और कई बार माथे से छुआ कर गल्ले में रखते हैं।

इस प्रकार की अनगिनत धारणायें इस वजह से हैं कि वे ईश्वर की शक्ति व स्वरूप को नहीं समझते, न समझना चाहते हैं। इसी तरह के लोग आकाश में बिजली की चमक को देवताओं के आग का कोड़ा बताते हैं। जब चाँद या सूरज ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं कि देवताओं पर कोई मुसीबत आ पड़ी है। नदियों को मुकद्दस समझ कर उसे खुश करने के लिए गुज़रती ट्रेन से उसमें सिक्का फेंकते हैं। चेचक व खसरा की बीमारी को इलाज के बजाए देवी का

नाम देकर उसकी मनौती करते हैं। जहाँ कब्र, समाधि, मन्दिर, मस्जिद, नदी देखी, हाथ जोड़ा, सर झुका दिया। प्रतिदिन अखबार में राशि देखकर अपने भविष्य के सपने सजोते हैं। पंडित व पाखंडी मोलवियों को अपना हाथ दिखाते हैं। गले में कंठी, माला, गंडा, तावीज़ हाथ में लिपटे धागे सब शिर्क व तौहम परस्ती की अलामतें हैं ? यदि अँगूठी पहने बगैर घर से निकल आये तो खतरे का अंदेशा सर पर सवार रहता है कि आज कुछ गड़बड़ न हो जाए। ऐसे लोग शगुन–अपशगुन, शुभ–अशुभ के खतरे में हर समय गिरफ्तार रहते हैं। इस्लाम के निकट ऐसे लोग गुमराह हैं।

(6) इस्लाम में शराब-जुआ-सूद-रिशवत-कम नाप तौल

इस्लाम में मदिरा हराम और घोर दण्डनीय अपराध है। इसे हर प्रकार के पापों की जननी कहा गया है। इस्लामी शासन में इसके बनाने, बेचने और पीने वालों के लिए सख्त कोड़ों की सज़ायें मुकर्रर हैं।

शराब एक ऐसा दलदल है जो इसमें एक बार फंसा फिर उसका निकलना मुश्किल है। शराब के कारण सड़क दुर्घटनायें, हत्यायें, स्त्रियों से छेड़छाड़, बालात्कार, तलाक, पवित्र रिशतों का कलंकित होना जैसी घटनायें आये दिन घटती हैं। ये समाज व देश के लिए कितनी घातक है। फिर भी सरकारें इस पर पाबन्दी नहीं लगातीं।

इस्लाम में हर प्रकार का जुआ निषिद्ध है। जुये में जीती गई धन राशि एवं सम्पत्ति सब हराम है। वह रिशवत व घूस द्वारा कमाये गये धन को भी हराम ठहराता है। आज देश का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ रिशवत व घूस की गंगा न बह रही हो। मंत्री से संतरी तक सब इस गंगा में नहा रहे हैं। इस्लाम सिर्फ वैध रूप और जायज़ धंधों से कमाये गये धन को ही हलाल ठहराता है। यहाँ नाच गाने, चोरी, बेईमानी, गबन एवं जुए से कमाया गया धन सब वर्जित एवं हराम है।

इस्लाम दौलत को चन्द हाथों में रखने का विरोधी है। उसके निकट सूदी व्यवस्था समाज का कोढ़ है। ये शोषण, लोभ–लोलुपता, जुल्म और अत्याचार पर आधारित है। इंसान को निर्दयी बनाती है। ये व्यवस्था शोषकों के लिए तो वरदान (नेमत) है और शोषितों के लिए अभिशाप है। ये धनवानों को और धनवान और धनहीनों को और धनहीन बनाती है। इस्लाम इसीलिए सूद को निषिद्ध व अति

वर्जित (हराम) ठहराता है। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फर्माया कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। इनमें कम दर्जे का गुनाह अपनी माँ के साथ व्यभिचार करने जैसा है। आप सल्ल0 ने सूद खाने वाले, लिखने वाले और उसमें गवाह बनने वाले सब पर लानत फर्मायी है।

इस्लाम कम नापने, कम तौलने को वैधानिक अपराध और धार्मिक पाप बताता है। इस तरह कमाये गये धन को इस्लाम हराम ठहराता है। ये भ्रष्टाचार भी दूसरों के नुकसान और अपने लाभ का परिचायक है। ये भरोसे और विश्वास को तोड़ता है।

(7) इस्लाम में नमाज़-मांस-खतना-ज़कात

इस्लाम में हर मुसलमान मर्द व औरत पर पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ना फर्ज़ है। अब जो मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ते उनके बारे में आप राय कायम कर सकते हैं कि वह कैसे मुसलमान है?

मुसलमान होने के लिए मांस खाना ज़रूरी नहीं है। यदि कोई मुसलमान मांस नहीं खाता तब भी वह मुसलमान है।

यदि कोई पुरूष इस्लाम अपनाता है तो उसके लिए खतना कराना जरूरी (फर्ज़) नहीं है। खतना कराना सुन्नत ज़रूर है। क्यों कि ये एडस सम्बन्धी बहुत सी बीमारियों से सुरक्षित रखता है।

इस्लाम ने समस्त धनवान मुसलमानों पर ढाई प्रतिशत के हिसाब से ज़कात देना ज़रूरी करार दिया है। ये एक तरह का अनिवार्य दान है। जिसका हर वर्ष अदा करना फर्ज़ है। ज़कात तिजारती सम्पत्ति, किराये पर चल रही जायदाद की आमदनी पर, पशुओं पर, खेती बाड़ी व बागों की फसल आदि पर भी इस्लाम ने ज़कात के नियम निर्धारित किये हैं। ये निर्धनों, अनाथो, दरिद्रों और ऐसे कर्ज़दार जो कर्ज़ अदा करने में असमर्थ हैं, उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए भी उन्हें दिया जा सकता है। इस तरह धनवानों के धन में इस्लाम ने धनहीनों का अधिकार निश्चित कर दिया है। गरीबों को हुक्म दिया कि वह ज़कात के लिए धनवानों के पास भिक्षुक बनकर न जायें बल्कि धनवानों का कर्तव्य है कि वह अपनी ज़कात गरीबों तक पहुँचायें। गरीबों के प्रति ऐसी चिन्ता और उसका आदर क्या किसी और जगह मिलता है? ज़कात देने से इंसान के अन्दर दया की प्रवृत्ति पैदा होती है।

(8) इस्लाम में नारी का हक

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के आने से पूर्व समस्त संसार में नारियों की हालत अत्यन्त दयनीय थी। उसे तमाम पापों की जड़ और नरक की संज्ञा दी जाती थी। उसका इतिहास कष्ट पीड़ा और दासता का इतिहास था। वह मर्द के आधीन और उसकी कृपा पर जीती थी। बचपन में पिता, जवानी में पति और पति के मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जलने या समाज के धक्के खाने पर मजबूर थी। समस्त संसार में नारी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं था। कुरआन ने सबसे पहले इस दृष्टिकोण के खिलाफ आवाज़ उठाई और घोषणा की कि——''नारियों का हक पुरूषों के बराबर है। वे किसी भी दशा में उनसे कम नहीं हैं, और उन स्त्रियों का भी वैसा ही हक है जैसा कि पुरूषों का उन पर। उनकी सम्पत्ति में किसी भी दशा में पुरूष का अधिकार उचित नहीं। जिनकी कमाई है उस पर उसी का हक है। पुरूषों ने जो कुछ कमाया उसी के अनुसार उनका हिस्सा है (कुरआन)इस तरह इस्लाम ने सबसे पहले स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया। इतना ही नहीं माता–पिता तथा नातेदारों की सम्पत्ति में भी उसे हिस्सेदार बनाया,,।

(9) इस्लाम में विधवा--नारी पर लाँछन

संसार के लोगों में जब आम नारी के बारे में इतना घटिया दृष्टिकोण था, तो कल्पना कीजिए कि विधवाओं के बारे में क्या रहा होगा? संसार के बहुत से क्षेत्रों में विधवायें घुटन का जीवन व्यतीत कर रही थीं। उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, चाहे वे जवान हों या अधेड़। भारत में तो विधवायें सती प्रथा के नाम पर जला दी जाती थीं। सती होने से जो किसी तरह बच जातीं वह नारकीय जीवन जीने पर मजबूर थीं। इस परम्परा के कारण आज भी कितनी विधवायें पुरूषों के भोग विलास का सरल साधन बनने पर मजबूर हैं। वृन्दावन जैसे धार्मिक तीर्थ स्थल की विधवाओं की करूण कहानी से कौन वाकिफ नहीं है ?

अल्लाह ने आप सल्ल0 को सम्पूर्ण जगत के इंसानों के मार्ग दर्शन के लिए सन्देष्टा बनाकर भेजा था। इस कारण आपने विधवाओं से विवाह करके दुनिया के समस्त इंसानों को पैगाम देकर

प्रोत्साहित किया। उन्हें हीन भावना से न देखने, प्रत्येक शुभ काम में शरीक होने की पूर्ण आज़ादी व सुरक्षा प्रदान की। आपने फर्माया कि यदि कोई स्त्री विधवा हो जाय या उसका पति उसे तलाक देदे, और आर्थिक दृष्टि से वह स्त्री स्वावलम्बी न हो तो उसकी संतान और संतान न होने की स्थिति में बाप, भाई व अन्य निकट सम्बन्धी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संभालें। ये उसका कानूनी हक भी है और हदीस में इसको बड़ा महत्व दिया गया है। एक बार मुहम्मद सल्ल0 ने अपने एक सहाबी से पूछा कि क्या मैं यह बताऊँ कि सबसे बड़ा सदका (दान–पुण्य) क्या है? उन्होंने कहा हुजूर अवश्य बताइये। आपने फर्माया कि अपनी उस बच्ची पर एहसान करना जो विधवा होने या तलाक दिये जाने के कारण आपकी तरफ लौटा दी गई हो और तेरे सिवा कोई दूसरा उसका कमाने वाला न हो।

संसार में नारी के सतीत्व पर लाँछन लगाना और इसी बहाने उसे पीड़ित, प्रताड़ित व अपमानित करना एक आम बात थी। वर्तमान समय में आज इसी बहाने कितनी नारियों पर अत्याचार किये जाते हैं। उन्हें जलने व खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस जुल्म से बचाने के लिए इस्लाम ने किसी स्त्री के सतीत्व पर लाँछन लगाने वालों के लिए चार गवाह पेश करने को अनिवार्य ठहराया। यदि वह चार गवाह पेश न कर सकें तो उसे सरे आम 80 कोड़ों की सज़ा दी जाय। ये इसलिए ताकि कोई शरारती किसी स्त्री पर आसान समझ कर लाँछन लगाने का साहस न कर सके। इस तरह इस्लाम ने स्त्री के महत्व को बढ़ाया, उसे पीड़ित व प्रताड़ित करने पर पाबन्दी लगाई।

(10) इस्लाम में तलाक व पति से छुटकारा

अल्लाह के रसूल सल्ल0 का इरशाद है कि अल्लाह के निकट हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा अमल तलाक है। मगर अल्लाह ने गुंजाईश भी रख दी है। यदि किसी स्त्री का पति नपुंसक, नाकारा व ज़ालिम है। जुआ, शराब का आदी है। बात–बात पर मारता, गाली गलौज करता है। उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। ऐसी अनिवार्य परिस्थिति में यदि स्त्री चाहे तो ऐसे पति से जब चाहे (खुलअ) छुटकारा हासिल कर सकती है।

इसी तरह कोई पत्नी यदि स्वभाव, विचार और चरित्र से बड़ी नीच है। पति से बात–बात पर झगड़ती है। बेजा फ़र्माइशें कर पति के नाक में दम कर रखा है। वह छोटे बड़े की मान मर्यादा व सम्मान का कोई ख्याल नहीं करती। उसके दूसरे पुरूष से अनैतिक सम्बन्ध हैं। ऐसी अनेक दशा में या स्वभाव से मेल न खाने के कारण स्त्री को पति जब चाहे तलाक दे सकता है। ये तलाक तीन मरहलों में दिया जाना चाहिए। पहली तलाक या दूसरी तलाक देने का अर्थ सुधर जाने की चेतावनी है। इससे पति–पत्नी दोनों को सोच–विचार का मौका मिल जाता है। यदि पत्नी सुधरने के निश्चित अवसर को भी खो देती है तो पति तीसरी तलाक देकर उसे अपने से विलग कर देता है। ये इस्लाम का खुदाई कानून है। न स्त्री को अधिकार है कि वह पति का कत्ल करे। न पुरूष को कि वह पत्नी को जलाये। इस तरह इस्लाम ने छुटकारे का हक देकर स्त्री, पुरूष दोनों पर एहसान किया है। जिस समाज ने तलाक व छुटकारे का हक पति–पत्नी को नहीं दिया है। क्या वहाँ खुदकशी व जलने की घटनायें आम नहीं हैं?

अफसोस है कि कुछ कंजड़ किस्म के नीच सोच के मुसलमान अपने कंजड़ पन में तीन तलाक एक साथ देकर कुरआन के आदेश की अवहेलना कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। यदि इस्लामी कानून होता तो तीन तलाक एक ही मरहले में देने वालों के इतने कोड़े पड़ते कि तबियत हरी हो जाती। फिर कोई कंजड़ एक साथ तीन तलाक देने का साहस न कर पाता। इस्लाम के कानून के मुताबिक तीन तलाक के घट जाने के बाद अब उन दोनों (पति–पत्नी) का निकाह आपस में नहीं हो सकता। स्त्री ने यदि दूसरे पुरूष से शादी कर ली है और वह पुरूष भी उसके व्यवहार से तंग आकर उसे तलाक दे देता है। तभी पहला पति उस स्त्री से यदि चाहे तो शादी कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये ईश्वरीय कानून है। साँठ–गाँठ व फारमेलटी के तौर पर किया जाने वाला निकाह (जिसे हलाला कहा जाता है) फिर तलाक ताकि पहला पति अपनी उसी पत्नी से निकाह कर सके, ऐसा हलाला कतई हराम और नाजायज़ है। ऐसा करने या कराने वाले सब पापी हैं।

(11) इस्लाम में चार शादी

कुरआन के अवतरित होने से पूर्व अरब के अलावा संसार के अन्य देशों में भी लोग बड़ी संख्या में पत्नी रखते थे। इस्लाम ने चार की सीमा निर्धारित कर पाबन्दी लगा दी। दुनिया की किसी धर्म पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं पाते।

हमारे देश भारत में भी आम तौर पर बड़ी संख्या में पत्नी रखने का चलन था। ये पत्नियाँ पति की मृत्यु के साथ सती होने पर मजबूर थीं। यदि किसी वजह से जलने से बच जातीं तो वे मूल अधिकारों संसारिक सुख व लज़्ज़तो से वंचित कर दी जाती थीं। 1954 ई0 में एक पत्नी के हक की हिफाज़त के लिए हिन्दू विवाह कानून द्वारा बहु विवाह पर पाबन्दी लगा कर एकल विवाह कानून ने पुरूषों को बिना किसी उत्तरदायित्व के (अवैध सम्बन्ध) की छूट देकर बहुत सी स्त्रियों को रखैल बनने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ऐसे सम्बन्ध से जन्में बच्चों और रखैलों को जब कोई कानूनी हक नहीं दिया गया तो पुरूष हर जगह खेलने के लिए आज़ाद हो गये। अब आप विचार कीजिए कि स्त्री को कानून के दायरे में पत्नी बनाकर रखना बेहतर है या गैर कानूनी ढंग से रखैल ? इस्लाम में दूसरी, तीसरी, चौथी औरत भी पत्नी कहलाती है। वह रखैल नहीं होती। उससे जन्मे बच्चों को वरासत में हक मिलता है। जिस समाज में यह सिस्टम नहीं है वहाँ औरतें जलाई जाती हैं। अवैध सम्बन्ध बनाती हैं। ऐसी स्थिति में किसी औरत का निकाह में लिया जाना बेहतर है या भटकने और जिस्म फरोशी पर मजबूर होने के लिए छोड़ देना।

ईश्वर ने पुरूषों को चार शादी की इजाज़त उस समय दी जब एक जंग में बड़ी तादाद में पुरूष शहीद, औरतें विधवा व बच्चे यतीम हो गये। अल्लाह ने कुरआन में फर्माया कि– ''यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि तुम यतीमों के साथ न्याय न कर सकोगे, तो उन स्त्रियों में से जो तुम्हारे लिए जायज़ हों (जिनके पति जंग में शहीद व बच्चे यतीम हो गये हों) दो–दो, तीन–तीन, चार–चार से विवाह कर लो। ध्यान रहे प्रभु ने एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त असाधारण अवस्था में एक अमली ज़रूरत के तहत दी है जो अनुमति है आदेश नहीं।

दस साल चलने वाले ईरान–ईराक युद्ध में और अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर की गई बम्बारी में लाखों लोग मारे गये। बड़ी तादाद में महिलायें विधवा हुयीं। परन्तु इन देशों में विधवाओं के विवाह पर न कोई रोक थी और न यहाँ एक पत्नी रखने की सीमा निश्चित थी। इस कारण यहाँ वह समस्यायें उत्पन्न न हुयीं जो प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) और द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) में लाखों लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में स्त्रियों के विधवा होने पर उत्पन्न हुई थी। उस समय पुरूषों की कमी के कारण स्त्रियों को पति मिलना कठिन हो गया। यदि ये स्थिति भारत में घटती तो बड़ी संख्या में विधवाओं को सती करके छुट्टी पा ली गई होती। किन्तु उन देशों में विधवाओं के जला देने का कोई विधान न था। ऐसी असाधारण स्थिति में एक से अधिक पत्नी रखने की परम्परा न होने के कारण नाजायज़ (लावारिस) बच्चों की संख्या बढ़ गई। पति से वंचित स्त्रियों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नाजायज़ सम्बन्ध कायम करने शुरू कर दिये। नौबत यहाँ तक पहुँची कि इन देशों में घरों में इस प्रकार के बोर्ड लगाये गये। (रात गुज़ारने के लिए मेहमान चाहिए) अमेरिकी पत्रकार ''जेम्स केमरान'' ने पराजित शहरों के बारे में लिखा है कि शहर के शहर (सेक्स की भूखी) तवायफों से भरे हुए थे। ये समाज का सामूहिक पक्ष है। ऐसी ही दशा में इस्लाम एक से ज़्यादा पत्नी रखने की इजाज़त देता है। वह उसे जलाने और व्यभिचार व आवारगी के दलदल में ढकेलने का विरोधी है।

समाज के व्यक्तिगत पक्ष पर भी दृष्टि डालें। एक विवाहित जोड़ा 10–15 साल से दाम्पत्य जीवन गुज़ार रहा है। किन्तु संतान से वंचित है। संतान न होने पर इस्लाम औरत को दोषी नहीं ठहराता। क्योंकि कुरआन में अल्लाह फर्माता है कि––'' ईश्वर जिसे चाहे लड़की दे, जिसे चाहे लड़का दे और जिसे चाहे बाँझ छोड़ दे''। ऐसी स्थिति में पति के माता–पिता और स्वयं पति भी चाहेगा कि उसका कोई वारिस हो, जो बुढ़ापे का सहारा बने। इस इच्छा की वास्तविक पूर्ति क्या गोद लेने से हो सकती है?.........

दूसरा पहलू यदि किसी की पत्नी कोढ़, कैंसर या पागलपन से ग्रस्त हो जाए। इस दशा में उसका पति अपनी इच्छा को कब तक

दबाये रखे या अपनी इच्छा पूर्ति कहाँ करे? यदि वह औरत को तलाक देदे तो ऐसी स्त्री से कौन शादी करेगा? क्या उसे जहर देकर मार डालने का अपराध करे या स्वयं खुदकशी कर ले? सोचिए, विचारिए क्या होना चाहिए?

इस्लाम ने इन्हीं आवश्यक परिस्थितियों में पहली पत्नी रखते हुए दूसरी शादी की इजाजत दी है। जिसमें औरत की रजामंदी शामिल है। वही औरत किसी शादी शुदा मर्द के निकाह में लाई जा सकती है जो स्वयं उसकी दूसरी, तीसरी एवं चौथी पत्नी बनने पर स्वेच्छा से राजी हो। क्योंकि इस्लाम में शादी के लिए औरत की रजामंदी सबसे पहली शर्त है। औरत की रजामंदी के बगैर दुनिया की कोई ताकत उसे किसी मर्द के साथ बाँध नहीं सकती। रजामंदी से शादी करने वाली औरत प्रथम व अन्य पत्नियों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पत्नी बनकर रहने वाली स्त्रियों का समाज में मान, मर्यादा, सम्मान एवं अधिकार सब सुरक्षित हैं। वे पति की दृष्टि में भी सम्मानित है। परन्तु क्या रखैल बनकर रहने वाली स्त्रियों को यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है?.........ये विचार योग्य बातें हैं। ये झूठा प्रचार है कि मुसलमान चार पत्नी रखते हैं। आप अपने शहर, गाँव, कस्बे एवं मुस्लिम मुहल्लों का सर्वे कर के देख लें हजारों में भी तीन व चार पत्नी तो बहुत दूर की बात है। दो पत्नी वाले भी शायद बड़ी मुश्किल से मिलें। क्योंकि इस्लाम ने चार पत्नियों में समता और न्याय की शर्त लगाकर एक प्रकार से अनावश्यक विवाह पर भी रोक लगा दी। जिस से चार विवाह भी रुक गया, जो लोग एक पत्नी के समर्थक और एक से अधिक के विरोधी हैं उनका स्वयं का आचरण और उनके समाज की दशा क्या है? इस्लाम की चार शादी के विरुद्ध सब से ज्यादा प्रचार यूरोपियन देशों ने किया। इन देशों में एक से अधिक पत्नी पर प्रतिबंध है किंतु व्यभिचार का द्वार पूरी तरह से खुला हुआ है, रखैल, सोसाइटी गर्ल्स, काल गर्ल्स, वेश्यायें, क्लब, होटल हैं। वहां जनसाधारण हो या मंत्री, पादरी हो या अन्य सभी व्यभिचार में मुब्तिला हैं। जो अवस्था पुरुषों की है वही स्त्रियों की भी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसकी स्त्रियां व्यभिचारणी न हों। जहां व्यभिचार का ऐसा चलन हो वहां एक पत्नी रखने का

खटराग कोई क्यों पाले। अब तो पुरुषों व स्त्रियों का ऐसा वर्ग भी पैदा हो गया है जो विवाह के बगैर सिर्फ आनन्द भोगना चाहता है। हमारे देश में भी अब यह सब होने लगा है।

(12) इस्लाम में पर्दाः

आज स्त्रियों के पर्दे पर समाज में आवारगी फैलाने वाले नंगी प्रवृत्ति के लोग ही एतराज कर रहे हैं। ऐसे लोग इस्लाम के पर्दे की अहमियत इसलिए नहीं समझ सकते। क्योंकि उनकी दृष्टि में स्त्रियों के स्त्रित्व का कोई मूल्य नहीं है। वे उन्हें पुरुषों की काम वासना की पूर्ति का साधन मात्र ही समझते हैं। जबकि इस्लाम ने व्यभिचार को जन्म देने वाले हर उस द्वार को बन्द करने का प्रयास किया है जहाँ से इस मर्ज के बढ़ने का खतरा है। इस्लाम में औरत की हैसियत हीरे से बढ़ कर है। जिस तरह हीरे को खुले मैदान में छोड़ने पर चोर उचक्के ललचाई भरी नजरों से देखे बगैर नहीं रह सकते उसी प्रकार एक नौजवान स्त्री जब बन संवर कर बेपर्दा कूचे बाजार में घूमती है तो समाज के लफंगे क्या उसे बुरी नजर से नहीं देखते? क्या पुरुषों के जज़बात नहीं भड़कते? मगर आश्चर्य है कि औरतों के अधिकारों का नारा लगाने वाले संगठन और अंदोलन चलाने वाली स्त्रियाँ शायद इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं।
यह ऐसा ही है जैसे शमा रौशन की जाए या सरे राह मर्करी जलाई जाय और चाहा जाय कि परवाने इधर रुख न करें। कैसे सम्भव है? हरे ताजा नर्म मुलायम चारे का ढेर बीच चौराहे पर लगा दिया जाए और चाहा जाय कि गाय, बैल, भैंस, बकरी भेड़ उस ओर न देखें। यह कैसे सम्भव है? सिर पर ताजा गोश्त का खुला टोकरा लिए फिरें और चाहें कि उस पर चील कौए झपट्टा न मारें, क्या यह सम्भव है ? रुपये की गड्डियों को खुले मार्ग पर रख दिया जाय और चाहा जाय कि कोई लुटेरा, चोर उधर निगाह न डाले, क्या यह सम्भव हो सकता है? औरतें और लड़कियाँ अर्ध नग्न अवस्था में सड़कों पर निकलें या तंग व चुस्त कपड़े पहन कर अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करें, और चाहें कि समाज के लफंगे इन पर दृष्टि न डालें, यह किसी तरह सम्भव नहीं हो सकता?

इसीलिये अल्लाह के रसूल (सल०) ने फरमाया कि औरत गोया

सतर (छुपाने लायक) है। जब वह बाहर निकलती है तो शयातीन उसको ताकते हैं। और अपनी नज़रों का निशाना बनाते हैं। आप (स0) ने यह भी फरमाया अल्लाह की लानत हो देखने वाले पर और जिसको देखा जाये। (हदीस)

क्योंकि व्यभिचार, बालात्कार व अपहरण की पहली मंज़िल बद निगाही है इसी लिए पवित्र ग्रंथ कुरआन में हज़रत मुहम्मद सल्ल0 को हुक्म दिया गया कि– ऐ नबी! मोमिन मर्दो से कह दो कि वह अपनी निगाहों को गैर औरतों को देखने से बचायें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। यह उनके लिए ज़्यादा पवित्र तरीका है। जो कुछ वह करते हैं उनसे अल्लाह बा–खबर है, और ऐ नबी ! मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी निगाहों को गैर मर्दो को देखने से बाज़ रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। (कुरआन) मुस्लिम औरतें ढीला ढाला नकाब क्यों पहनती हैं? इसका लाभ क्या है? यह प्रश्न उन लोगों के ज़हन में ज़रूर उठता होगा जो इसकी हकीकत से अनभिज्ञ हैं। नकाब वह ढीला वस्त्र है जो महिलाओं के शरीर के आकर्षक अंगों को अन्य पुरूषों की कामी दृष्टि से बचाने का कार्य करता है। पर्दा भी समाज का महत्वपूर्ण वस्त्र है जो घरों, कमरों एवं दफतरों के दरवाज़ों पर शोभा बढ़ाने अन्दर की स्थिति को छुपाने व सामान आदि को बुरी नज़र से बचाने के लिए लटकाए और डाले जाते हैं। ध्यान रहे कान का पर्दा और आँख का पर्दा भी होता है, जो हमारे सुनने व देखने की शक्ति को सुरक्षित रखते हैं। मगर जब मूर्खो की बुद्धि पर (जिसे ईश्वर ने बिना पर्दे के बनाया है) परदा पड़ जाता है तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। आज यही बिगड़े लोग पर्दे का विरोध करते हैं।

जबकि इस सच्चाई से किसी को इनकार नहीं है कि एक व्यक्ति को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह उसका चेहरा ही है। नज़रों को सबसे ज़्यादा यही आकर्षित करता है। जज़बात को सबसे ज़्यादा यही उकसाता है। भावनाओं को भड़काने का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एजेन्ट यही है। सेक्स अपील में शरीर के तमाम अंगों से ज़्यादा इसी चेहरे को दखल है। इसी लिए पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फर्माया कि–किसी स्त्री पर अचानक नज़र

पड़ जाय तो माफ है, लेकिन खबरदार दूसरी नज़र मत डालना। इसलिए कि इंसान का दिल बदनजरी से सख्त हो जाता है। दिल की सख्ती गुनाह का एहसास खत्म कर गुनाह पर उकसाती है, नेक काम की तौफीक नहीं मिलती। इसीलिए आप सल्ल0 ने फर्माया कि–"जो व्यक्ति किसी अपरचित (गैर) औरत के महासिन (शरीर के सुन्दर अंगों) पर काम वासना की नज़र डालेगा क़यामत के दिन उसकी आँखों में पिघला हुआ सीसा डाला जायेगा। (हदीस)

सेक्सी भावना को भड़काने में क्या शरीर के तमाम अंगों से ज़्यादा चेहरे को दखल है अथवा नहीं?........इस बात को समझने के लिए मनो विज्ञान के गहरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। स्वयं अपने दिलों को टटोलिये?....अपने हृदय का जायज़ा लीजिए?......अपनी आँखों का अपनी आँखों से फतवा तलब कीजिए?....अपने मन का स्वयं परीक्षण करके देख लीजिए?....कि किसी सुन्दर स्त्री को टकटकी लगाकर देखते रहने पर स्वयं कैसी–कैसी भावनायें और कैसे–कैसे विचार मन में बनते व उभरते हैं। यही विचार व भावनायें जब स्त्री को देखते–देखते प्रबल हो जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जो या तो प्रेम व अनुराग के नाजायज़ मिलन को जन्म देती है या अपहरण व बालात्कार की भयंकर घटनायें घटती हैं ।

यह इसलिए होता है कि स्त्रियों में पुरूषों के लिए और पुरूषों में स्त्रियों के लिए प्राकृतिक आकर्षण है। अतः पुरूष स्त्री को देखकर स्वभावतः आकर्षित होता है, और स्त्री पुरूष को देखकर स्वभावतः आकर्षित होती है। इसी आकर्षण के नतीजे में कितनी मूर्ख लड़कियाँ अपने अंजाम की परवाह किये बगैर माता–पिता, भाई–परिवार आदि सबको छोड़कर प्रेम वासना के चक्कर में क्या लड़कों के साथ भाग नहीं जातीं? क्या इस प्रकार की घटनायें हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में नहीं पढ़ते? और क्या समाज में घटित होते नहीं देखते? शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार स्त्रियाँ शरीर और मन से कोमल होती है। परदा उनकी रक्षा के लिए सर्वथा उपयोगी है। स्त्रियों की बेपरदगी ही व्यभिचार एवं बालात्कार का द्वार है। बालात्कार व व्यभिचार एवं अपहरण जैसी घटनायें कु–दृष्टि के ही परिणाम हैं। इस्लाम इसे परदे द्वारा बन्द करता है।

इस्लाम की अन्य अखलाकी शिक्षायें

(1) इस्लाम कहता है कि यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी सृष्टि से प्रेम करो। मतलब है कि उसके बन्दों के साथ भलाई करो तो ईश्वर तुमसे प्रेम करेगा। (2) इस्लाम कहता है जो चीज़ तुम अपने लिए पसन्द करते हो वही दूसरों के लिए भी पसन्द करो। (3) कोई व्यक्ति सही अर्थों में मुसलमान नहीं हो सकता। यदि वह पेट भर कर सोये और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इस्लाम कहता है कि जिसका पड़ोसी उसकी बुराई से सुरक्षित न हो वह ईमान वाला नहीं। (4) इस्लाम कहता है कि हर अत्याचार पीड़ित की सहायता करो। चाहे वह मुसलमान हो या अन्य धर्म का। इस्लाम कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिशोध की ताकत रखता हो और क्षमा कर दे वह ईश्वर के निकट अति सम्मान पायेगा। (5) इस्लाम में कुँवारे पुरुष व कुँवारी स्त्री के व्यभिचार करने पर 100 कोड़े की सज़ा मुकर्रर है। यदि यही कर्म विवाहित करें तो इस्लाम उन्हें संगसार (पत्थरों से मार डालने) का हुक्म देता है। (6) इस्लाम छात्र–छात्राओं की मिश्रित शिक्षा व पुरुष–स्त्रियों के एक साथ काम करने को उचित नहीं ठहराता। इस्लाम अश्लीलता, बेहयाइ व नंगेपन को पसन्द नहीं करता। (7) इस्लाम कहता है कि यदि कोई कष्ट दायक चीज़ रास्ते में पड़ी हो तो उसे हटा देना सदका है। इस्लाम दया को ईमान की निशानी बताता है। जिसमें दया नहीं उसमें ईमान नहीं। (8) इस्लाम माता–पिता के साथ सद्व्यवहार करने को जन्नत प्राप्ति का साधन बताता है। वह अनाथों के सम्पत्ति हरण को धार्मिक पाप ठहराता है। (9) इस्लाम स्वच्छता से ज़्यादा पवित्रता पर बल देता है। वह कहता है कि कपड़ा कितना ही साफ़ क्यों न हो यदि उस कपड़े पर पेशाब की एक बूँद भी कहीं पड़ गई हो तो वह कपड़ा अपवित्र है। उस कपड़े को पहन कर नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। (10) इस्लाम कहता है कि जो भी नेक काम करो वह ईश्वर की प्रसन्नता व उसे राज़ी करने के लिए करो। तो ये सारे काम इबादत होंगे। दूसरों को दिखाने व प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले कार्य ईश्वर के निकट कोई महत्व नहीं रखते।

इस्लाम की शिक्षा का यह बहुत संक्षिप्त रूप है जो इस छोटी सी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। संसार में इस्लाम अपनी अखलाकी

तालीमात के द्वारा ही फैला। **तलवार के ज़ोर से इस्लाम के फैलने का प्रचार झूठ पर आधारित है।** संसार में केवल इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसने ये दर्शन दुनिया के सामने पेश किया कि मज़हब यकीन व विश्वास का नाम है। ये तलवार व भाले की नोक से पैदा नहीं किया जा सकता। कुरआन ने स्पष्ट रूप से कहा कि– मज़हब में कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं। प्रभु ने रसूल को उपदेश दिया कि– ऐ पैगम्बर! क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान वाले हो जायें (कुरआन)। ऐ पैगम्बर! तू इन काफ़िरों पर हाकिम बनाकर नहीं भेजा गया (कुरआन)। ऐ पैगम्बर! तुझ पर केवल तबलीग (इस्लाम का संदेश) पहुँचाना ही फ़र्ज़ है। तू अपने रब के रास्ते की ओर लोगों को बुद्धिमानी और अच्छी नसीहत से बुला और उनसे वाद–विवाद कर तो इस तरीके से जो सबसे अच्छा हो (कुरआन)।

इस्लाम के फैलने में जो लोग तलवार के ज़ोर का आरोप लगाते हैं। उसका जवाब "कार्ल लायल" ने यूँ कहकर दिया कि–यदि मुहम्मद सल्ल0 ने तलवार चलाने वाले सिपाहियों के बल पर इस्लाम को फैलाया तो पहले उन तलवार चलाने वाले सिपाहियों को किस तलवार से मुसलमान बनाया था? क्योंकि मक्का जहाँ से इस्लाम फैला मुहम्मद सल्ल0 और उनके मानने वालों के पास तलवार नहीं थी। मुसलमानों ने जहाँ भी तलवार उठाई उसका मकसद अपनी और मज़लूमों की सुरक्षा हेतु था। किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना हरगिज़ न था। रसूल सल्ल0 की पूरी ज़िन्दगी प्रमाण है कि किसी एक व्यक्ति को भी ईमान लाने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। यही वजह थी कि मुसलमानों के बहुत से निकट सम्बन्धियों की मौतें कुफ्र की हालत में हुयीं। पैगम्बर के जीवनकाल के बाद भी संसार में इस्लाम अपने प्रभावपूर्ण उपदेशों के द्वारा ही फैला। (अफ्रीका, चीन, मलाया, कश्मीर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन्स, मालदीप) और अन्य देशों में न मुसलमान सिपाहियों ने कदम रखा और न मुसलमान बादशाहों के हमले हुए। आखिर फिर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ मुसलमान क्यों नज़र आते हैं?

मालदीप में इस्लाम फैलने की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। सुप्रसिद्ध पर्यटक इब्ने बतूता के बारे में कहा जाता है कि जब वह

मालदीप पहुँचा। उसने वहाँ अज़ानें सुनीं तो ताअज्जुब में पड़ गया। पूछा! यहाँ इस्लाम कैसे आया? बताया गया कि अरब का एक तिजारती जहाज़ समुद्री तूफान से जब तबाह हुआ तो उसका एक कम उम्र नौजवान किसी तरह बचकर मालदीप के तट पर आ पहुँचा। उसने यहाँ एक बुढ़िया के घर पनाह ली। अपने गुज़र–बसर के लिए वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, बेचता। एक दिन वह काम से वापस आया तो बुढ़िया और लड़की को रोते देख बेचैन हो गया। रोने की वजह पूछी। बुढ़िया ने बताया कि समुद्र में एक बला निकलती है। जिससे बचने के लिए हर महीना समुद्र के किनारे बने एक मन्दिर में एक कुँआरी लड़की रात के अंधेरे में पहुँचा दी जाती है। इस बार मेरी लड़की का नम्बर है। ये सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया। (कुँआरी लड़की ही क्यों–कुँआरा लड़का क्यों नहीं? उसने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा लड़की के कपड़े मुझे देदो। वह कपड़े पहन कर मन्दिर पहुँचाने वाले जहाज़ पर बैठ गया। जहाज़ उसे मन्दिर तक पहुँचा कर वापस हो गया। उसने अपनी योजना के मुताबिक कुरआन पढ़ना शुरू किया और तलवार निकाल कर उस दुराचारी बला की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बला आती दिखाई दी। मगर नौजवान की नंगी तलवार व उसके हौसले को देखकर वापस हो गई। इस तरह इस्लाम के उस सच्चे अनुयायी ने अपने तेज, पराक्रम व आत्मिक शक्ति व प्रभु की कृपा से सदियों से चली आ रही इस ज़ालिमाना प्रथा को खत्म कर इस्लाम के उपदेश व संदेश को ऐसा पहुँचाया कि समस्त मालदीप इस्लाम के नूर से जगमगा उठा।

तुरको व तातारियों ने मुसलमानों पर तलवार चलाई थी। उनपर तलवार किसने चलाई कि वे मुसलमान बन गये? मौजूदा वक्त में यूरोपीय मुल्कों व अपने देश भारत में कौन सी तलवार चल रही है कि लोग स–हर्ष इस्लाम अपना रहे हैं? तलवार से मुल्क व मैदान तो जीते जा सकते हैं मगर दिल नहीं जीते जा सकते। यदि इस्लाम तलवार से फैला होता तो तलवार का खतरा टलते ही लोग इस्लाम से मुँह मोड़ लेते। अब तो तलवार मुसलमानों से छिन गई है, फिर लोग इस्लाम क्यों अपना रहे हैं? ये प्रश्न मुसलमानों को आरोप लगाने वालों से पूछना चाहिए।

भारत भगवानों का देश है। भगवानों का देश होने की वजह से .... यहां के नंगे, भूखे, ग़रीब लोग (वे चाहे अनपढ़ हों या पढ़े लिखे) अपना हक़ इसलिये नहीं मांगते कि (उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान किया गया) कि वह जानते हैं कि हम पिछले जन्म के पाप भोग रहे हैं। भगवान ने हमारी क़िस्मत में ग़रीबी लिख दी है अगर वह मन्दिर में भोग नहीं लगायेंगे तो उनकी क़िस्मत नहीं बदलेगी। उन्हें किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि जब तक वह अपनी चारों उंगलियों में अनेक क़िस्म के पत्थर, नगीने नहीं पहनेंगे उनकी हालत सुधर नहीं सकती। उन्हें कोई पंडित बता गया है कि सात शनीचर तक व्रत रखना है। जब तक व्रत पूरा नहीं होगा क़िस्मत नहीं बदलेगी। ग़रीब अगर पंडित को दान नहीं देंगे तो बैकुंठ को नहीं जा सकेंगे। यहां अनगिनत भगवान हैं एक भगवान खुश तो कभी दूसरा नाराज़, ऐसे में भगत जन की ज़िन्दगी एक भगवान से दूसरे भगवान तक दूसरे से तीसरे भगवान तक जाते जाते खत्म हो जाती है।

(राष्ट्रीय सहारा 9 अक्टूबर 2013 ई0, ज़ैन शम्सी के लेख नीले गगन के तले से उध्दृत)

उपरोक्त विचारधारा के दलदल में भारतीय मुसलमानें के पूर्वज भी गिरफतार थे। इस्लाम के ज्ञान रूपी प्रकाश ने उन्हें इस गुमराही के दलदल से निकाला। मुसलमान उन्हीं की संतानें हैं। यह अरब व इंगलैंड से नहीं आये। अब इन मुसलमानों का फर्ज़ है कि वे अपने उन दूसरे भाई बहनों तक इस्लाम के पैग़ाम को पहुंचायें और उन्हें गुमराही के दलदल से निकालने का यत्न करें। शायद कि बात समझ में आ जाये ताकि मरने के बाद उन्हें भी मुक्ति मोक्ष व स्वर्ग प्राप्त हो। क्योंकि इस्लाम समस्त मानव जाति के लिये प्रभु द्वारा भेजा दीन है।